

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र० झांसी
पत्रांक- 4600 / 33-1 / दिनांक, झांसी, मई 18, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय- 765 के०वी० डी०सी० उरई के-अलीगढ़ पैकेज टी०ई० ०६ पारेषण लाईन के निर्माण में प्रस्तावित जालौन वन प्रभाग की संरक्षित वन भूमि ०.२६८ हे० के प्रयोग एवं मार्ग पटरियों पर खड़े प्रभावित ०५ वृक्षों के पातन की वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के अन्तर्गत अनुमति/स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- उप वन संरक्षक जालौन सा०वा० प्रभाग उरई का पत्रांक २८५२/३३-१ दिनांक २९.०४.२०१७ एवं पत्रांक ३१७५/३३-१ दिनांक १८.०५.२०१७

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव उप वन संरक्षक जालौन वन प्रभाग उरई द्वारा तीन प्रतियों में संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को ऑन लाईन कर संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर टिप्पणी अंकित कर दी गई है तथा प्रस्ताव की ऑन लाईन इन्द्री भी कर दी गई है।

अतः विषयक प्रस्ताव तीन प्रतियों में संलग्न कर वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के अन्तर्गत अनुमति/स्वीकृति हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- १. प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

२. उप वन संरक्षक जालौन के संदर्भित पत्रों की प्रति।

भवदीय

(अशोक कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त झांसी

पृष्ठांकन संख्या- / समदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. मुख्य वन संरक्षक बुन्देलखण्ड जोन उ०प्र० झांसी।
२. उप वन संरक्षक जालौन सा०वा० प्रभाग उरई।
३. मुख्य प्रबन्धक, उप केंद्र/पारेषण लाईन निर्माण, निकट कालपी बस स्टेन्ड उरई को इस आशय से प्रेषित कि आप प्रकरण से मित्र किसी अभियन्ता को इस कार्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त झांसी

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक- 3175 / 33-1 / उरई, दिनांक, मई 18 2017।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र० झांसी।

विषय:-

765 के०वी०डी०सी० उरई-अलीगढ़ पैकेज टी०ई०-०६ पारेषण लाईन के निर्माण में प्रस्तावित संरक्षित भूमि ०.२६८ हे० एवं मार्ग पटरियों पर खड़े ५ वृक्षों की वन संरक्षण अधिनियम १९८० के अन्तर्गत अनुमति/स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० कार्यालय उरई का पत्रांक- उ०क्ष०-३/उरई/६७४ दिनांक १७.०५.२०१७।

महोदय,

संदर्भित पत्र द्वारा पावर ग्रिड आफ इण्डिया लि० कार्यालय उरई द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उक्त विषयक प्रस्ताव हेतु निम्न अभिलेख तैयार कर पुनः प्रेषित किये जा रहे हैं :-

१. प्रतिपूरक वनीकरण भूमि का डिजिटल मैप।
२. प्रतिपूरक वनीकरण भूमि की के०एम०एल० फाईल।
३. प्रतिपूरक वनीकरण भूमि का दोनो प्रस्ताव की संयुक्त भूमि हेतु प्रमाण पत्र।

उपरोक्तानुसार अभिलेख प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(बी०आर० अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा०वा०, वन प्रभाग उरई।

पु०सं०-

समदिनांक।

प्रतिलिपि-मुख्य प्रबन्धक (उपकेन्द्र/लाईन निर्माण पावर ग्रिड उरई) को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(बी०आर० अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा०वा०, वन प्रभाग उरई।

भाग-3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	0.268 हे० संरक्षित वन भूमि शामिल वन प्रभाग 325 नहीं।
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	भाग-क, भाग 1 के 2 सहमत
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	उप वन संरक्षक शामिल वन प्रभाग 325 भाग-2 में दी गयी ससुमी के आधार पर प्रस्ताव वन (संरक्षित) भूमि 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति / अनुमति के ससुमी सहित प्रेषित।

दिनांक: 18-5-2017
स्थान: झांसी

हस्ताक्षर
(नाम साफ अक्षरों में)
सरकार मोहर

10
(अशोक कुमार)
वन मंत्रालय / क्षेत्रीय निदेशक
दुर्गेश्वर वृत्त उ०प्र०,
झांसी।